न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:– 15/2021
निर्णय दिनांक:– 17.04.2025
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. बन्ना पुत्र प्रभू जाति रैगर
2. भंवर पुत्र रूपा जाति रैगर
3. प्रधान पुत्र बेणा जाति मीणा
4. सांवरिया पुत्र हनुमान जाति मीणा
5. सुरजकरण पुत्र कानाराम जाति रैगर
6. गणेश पुत्र सुरजकरण जाति रैगर

समस्त निवासीयान मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत किशोरपुरा जरिये सरपंच
2. बलदेव पुत्र गंगाराम जाति जाट
3. हनुमान पुत्र गंगाराम जाति जाट
4. सीताराम पुत्र गंगाराम जाति जाट

समस्त निवासीयान मोहनुपरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर।

5. तहसीलदार फागी तहसील फागी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री भोजराज सिह राजावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री विनय कुमार जैन अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2, 3, 4
श्री पुरूषोतम शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1

प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्त किये जाने तरमीम

निर्णय दिनांक:– 17.04.2025

1. प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 152/1/2 रकबा 01 बीघा गैर मु. आबादी भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है जिसके हाल नम्बर 1060/152 रकबा 0.2529 हैक्टेयर उक्त आराजी के मूल खसरा नम्बर 152 मे से राज्य सरकार द्वारा आबादी मे समपरिवर्तन किया गया है एवं तहसीलदार फागी द्वारा गरीब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगो को निःशूल्क उक्त 1 बोघा आबादी भूमि खसरा नम्बर 152/1/2 मे कुल 10 परिवारो को पटटे जारी किये गये जो प्रार्थीगण व उनके परिवारजन के नाम है। जो मौके पर काबिज होकर निवास करते आ रहे है। उपरोक्त आबादी भूमि पर प्रार्थीगण बी.पी.एल. कोटे से इन्द्रा आवास में पुख्ता मकान बना रखे है एवं पटटे अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है जिसकी दोराने आबादी आवंटन नक्शा ट्रेस मे स्थाई तरमीम की गई थी। जो नक्शा ट्रेस मे आज भी कायम है जो खसरा नम्बर 152/1/2 दर्ज है परन्तु हाल ही मे डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना अन्तर्गत बिना किसी आदेश के राजस्व कार कानूनगो ने उक्त आबादी की तरमीम

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी जयपुर

कतई गलत विधि विपरित जाकर दुसरी जगह तरमीम कर दी जहा पर अतिक्रमियो का चारागाह भूमि पर अतिकण है उस स्थान पर तरमीम कर दी गई है जिससे प्रार्थीगण के कब्जेशुदा व पटटेशुदा भूमि को वर्तमान मौके से हटाकर दुसरी जगह तीरमीम करने से प्रार्थीगण अपने पुख्ता मकान चारागाह भूमि मे आ गये है। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र दुरूस्त किये जाने तरमीम पेश करना लाजमी आया है। केवल मात्र अप्रार्थी सं. 2, 3 व 4 को नाजायद फायदा देने की गरज से पटवार हल्का व गिरदावर ने अपने रिश्तेदारो को अतिक्रमण की भूमि के स्थान पर उक्त आबादी की तरमीम नक्शा ट्रेस मे प्रस्तावित की है जबकि उक्त स्थान चारागाह भूमि है एवं उसके नये नम्बर 1060/152 दर्ज कर रखे है। प्रार्थीगंण द्वारा उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु तहसीलदार फागी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उक्त तरमीम गलत होने की तहसीलदार फागी द्वारा रिपोर्ट की गई है परन्तु उक्त दुरूस्ती हेतु श्रीमान न्यायालय के आदेश लाने की कहने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। ग्राम पंचायत किशोरपुरा द्वारा भी अपने प्रस्ताव पारीत कर उक्त गलत तरमीम को पूनः दुरूस्त करने हेतु अनुसंशा की है। तथा अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 के विरूद्ध पूर्व में जहॉ तरमीम प्रस्तावित है उस स्थान को चारागाह मानकर उनके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही भी हो चूकी है जिसकी उनके द्वारा अपील करने पर भी उनको अतिक्रमी माना गया है जो वर्तमान में राजस्व कर्मचारियो से सांठ गांठ कर भारी भ्रष्टाचार कर उक्त तरमीम जो वर्तमान में नक्शा लट्ठा मे हो रखी है के स्थान पर दुसरी जगह करवाने की नाकाबिले कोशिश की है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण द्वारा उपतहसीलदार माधोराजपुरा द्वारा की गई जॉच की नकल दिनांक 23.02.2021 को प्राप्त करने पर उक्त तरमीम दुरुस्त नही करने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है जो अन्दर मियाद पेश है विवादग्रस्त आराजी व पक्षकारान का निवास स्थान श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई व निस्तारण का अधिकार श्रीमान को बखुबी प्राप्त है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 की और से अधिवक्ता श्री विनय कुमार जैन उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के अतिरिक्त कथंन मे बताया की ख0न0 152/1/2 के सम्बन्ध में एक वाद सिविल न्यायाधीश फागी मे विचाराधीन है वाद कमांक 11/2021 है उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 भी विचाराधीन है जिसमे माननीय न्यायालय ने दोनो पक्षों को मौखिक व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे। पटवारी हल्का ने दिनांक 21.04.2022 को जो तरमीम जो खसरा नम्बर 152 मे प्रस्तावित की है जो गलत है क्योकि तथाकथित प्रस्तावित तरमीम जमीन के तीन तरफ चारागाह भूमि है प्रस्तावित जमीन के तीन तरफ चारागाह होने से चारागाह

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

भुमि का नुकसान होगा। जबकि सन् 2005 में जो तरमीम की गई थी वो खसरा नम्बर 152 की दक्षिणी पूर्व कौने पर की गई थी जिसके पश्चिम में आम रास्ता है प्रस्तावित तरमीम के आस पास कोई रास्ता नही है। बिना रास्ते के सम्भावित तरमीम से पशुओं के चरने का रकबा कम हो जायेगा। सन् 2005 में की गई तरमीम के पश्चिम में रिकार्डेड रास्ता है। इस लिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी 1 की और से अधिवक्ता श्री पुरूषोतम शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 1 की स्वंय उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया एवं अपने जबाब मे की ख0न0 152/1/2 की तरमीम पूर्व मे जारी लट्ठा नक्शा एवं डी0आई0एल0आर0एम0पी0 शीट के अनुसार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

4. अप्रार्थी सं0 5 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब मय नक्शा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब मे बताया की ख0न0 152/1/2 की नक्शा लठठा में तरमीम हो रखी है। मुताबिक नक्शा लठठा के ही डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत उक्त ख0न0 की तरमीम की गई थी। जिसे तहसीलदार फागी के आदेशानुसार ऑनलाईन नक्शे मे बदला गया है।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुयें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने अपने जबाब के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती पूर्व मे जारी लट्ठा नक्शा एवं डी0आई0एल0आर0एम0पी0 शीट के अनुसार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

7. अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 – 2077 वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान के खाता सं0 1 के ख0न0 1060/152 रकबा 0.2529 है0 गै0मु0आबादी दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे नक्शा लट्टा व डी0आई0एल0आर0एम0पी0 शीट में समान तरमीम होने का कथन किया गया तथा बाद मे ऑनलाईन नक्शे मे परिवर्तन किये जाने का अंकन किया है। अप्रार्थी सं0 1 ने भी अपने जबाब मे पुराने नक्शा लट्टा एवं डी0आई0एल0आर0एम0पी0 शीट अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत नक्शा लट्टा व वर्तमान नक्शे की तरमीम मे भिन्नता है। जो स्पष्ट प्रतीत होती है। प्रार्थीगण ने भी अपने प्रार्थना पत्र मे

उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर

पूर्व मे नक्शा लट्ठा मे की गई तरमीम को बहाल रखते हुये वर्तमान तरमीम को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या सबुत प्रस्तुत नही किया गया है जिससे साबित हो की वर्तमान तरमीम सही है।

उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि पूर्व मे नक्शा लट्ठा मे की गई तरमीम एवं वर्तमान तरमीम मे भिन्नता है। तहसीलदार फागी ने भी अपने जबाब मे पूर्व मे नक्शा लट्ठा मे की गई तरमीम को सही बताया है। अप्रार्थी सं0 1 ग्राम पंचायत ने भी नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर नक्शा लट्ठानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 152/1/2 हाल नम्बर 1060/152 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/4/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर

सत्यमेव जयते